



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 8, 2008/चैत्र 19, 1930

No. 459]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 8, 2008/CHAITRA 19, 1930

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2008

का.आ. 824(अ).—राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) की धारा 3 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा डॉ. गिरिजा व्यास, ए-96, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110011 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्ष के रूप में नामित करती है। डॉ. गिरिजा व्यास का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा।

[फा. सं. 9-1/2008-म.क.]

लवलीन कक्कड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2008

S.O. 824(E).—In pursuance of Section 3 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990), the Central Government hereby nominates Dr. Girija Vyas, A-96, Shahjahan Road, New Delhi-110011, as Chairperson of the National Commission for Women, New Delhi. Dr. Girija Vyas shall hold office for a period of three years from the date of assumption of charge of office or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9-1/2008-WW]

LOVELEEN KACKER, Jt. Secy.